2017/00505

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री कानाराम गोदारा दुकान नं. 27 श्रीधर कोम्लेक्स स्वासतिक पार्क नियर श्रीराम मारबल अलथान रोड़ सूरत (गुजरात) : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ किस्म मुकदमा प्रथम सूचना अपील संख्या 256 / 17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

18.12.17

1. उभयपक्ष हाजिर नहीं।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 29.08.17 में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ से चाही गई थी। परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ ने वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारणं अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ ने अपने जवाब क्रमांक 1838 दिनांक 28.11.17 में वर्णित किया है कि अपीलार्थी का आवेदन–पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। जवाब में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी के आवेदन–पत्र की प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें ताकि आवेदन–पत्र का निस्तारण किया जासके। जबकि सहायक लोक सूचना अधिकारी, छतरगढ़ को इस न्यायालय के नोटिस क्रमांक 2228 दिनांक 27.10.17 द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन–पत्र व अपील की प्रति प्रेषित किये जाने के बावजूद अपीलार्थी को सूचना नहीं भेजी गई है, जो उचित नहीं है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ के धारण/नियंत्रण में हो तो वांछित सूचना नियत समयावधि में अपीलार्थी को दी जानी चाहिए थी।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार अपीलार्थी के प्रार्थना–पत्र (जिसकी प्रति पुनः भिजवाई जा रही है) का निस्तारण 15 दिवस के अंदर किया जा कर उसकी सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को आवश्यक रूप से भिजवाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर